अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

बंशीधर बनाम लालचन्द आदि

दावा दावा बंटवारा, उद्घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 82/दावा सन् 2018 निर्णय दिनांक. 27.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई व **श्री बंशीधर बाज्या, रिछपालसिंह कस्वां** मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि खसरा नम्बर 1115 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 1116 रकबा 0.4000 है0, ख0नं0 1117 रकबा 2.01 है0, ख0नं0 1121 रकबा 0.5000 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1123 रकबा 1.6000 है0 किता 6 कुल रकबा 5.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवकृष्ण नगर पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदारी हिस्सा 1/3 सें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उपरोक्त भूमियों में सें 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 को तथा शेष हिस्सा 1/2 का वादीगण संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप सें काबिज खातेदार/ काश्तकार उद्घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार, अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा होने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2019 को जारी की गई।

मोहर उपखण्ड दस्तखत, ओहदा

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—82 / 2018 / दावा

1. बंशीधर पुत्र बोदूराम
2. महिपाल पुत्र सुरजमल
3. सजनादेवी पत्नि सुरजमल
   समस्त जाति जाट निवासीगण शिवकृष्ण नगर (लामियां) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादीगण

ब ना म

1. लालचन्द उर्फ लालू पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी शिवकृष्ण नगर (लामियां) तहसील दांतारामगढ हाल निवासी भगतसिंह नगर तन आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. उप—पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।
4. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री हरदेवाराम वकील वादी की ओर से
2. श्री बंशीधर बाज्या, रिछपाल सिंह कस्वां वकील प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें ।

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1115 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 1116 रकबा 0.4000 है0, ख0नं0 1117 रकबा 2.01 है0, ख0नं0 1121 रकबा 0.5000 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1123 रकबा 1.6000 है0 किता 6 कुल रकबा 5.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवकृष्ण नगर पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें सें खातेदारी हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 तथा हिस्सा 2/3 बंशीधर, सुरजमल के नाम सें दर्ज है। जो कि सम्पूर्ण एकमात्र वादीगण के कब्जे व काश्तशुदा है। उक्त भूमियां बोदूराम के तीन पुत्रों लालचन्द, बंशीधर, व महिपाल ने अपनी पुश्तैनी सम्पदा का बाहमी बंटवारा करके उक्त वर्णित कृषि भूमियों को वादीगण बंशीधर व सुरजमल का स्वर्गवास हो जाने पर सुरजमल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

के वारिशान वादीगण संख्या 2 व 3 को सम्भला दी एवं इसकी एवज में प्रतिवादी संख्या एक के वर्णित 1/3 हिस्से के बराबर दूसरी जगह कृषि भूमियों खसरा नम्बर 1966 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 1967 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1968 रकबा 5.13 है0 किता 3 कुल रकबा 5.22 हैक्टेय तन ग्राम भगतसिंह नगर पटवार हल्का आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में सें हिस्सा 1/3 सम्भला दिया एवं कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें उक्त हिस्सा 1/3 की खातेदारी भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो चुकी है। एवं विवादित भूमियों सें प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ने हटाकर शून्य कर लिया था एवं उसी समय सें ही उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर वादीगण ही एकमात्र रूप सें काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रहने सें वादीगण को अपनी भूमियों का समुचित विकास करने आदि में दिक्कत आ रही है। वादकारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यहां शिवकृष्ण नगर में अवस्थित भूमियों सें अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में हटाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाा जाकर वादवर्णित भूमियों खसरा नम्बर 1115 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 1116 रकबा 0.4000 है0, ख0नं0 1117 रकबा 2.01 है0, ख0नं0 1121 रकबा 0.5000 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1123 रकबा 1.6000 है0 किता 6 कुल रकबा 5.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवकृष्ण नगर पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदारी हिस्सा 1/3 सें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उपरोक्त भूमियों में सें 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 को तथा शेष हिस्सा 1/2 का वादीगण संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप सें काबिज खातेदार/ काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व उद्घोषणा फरमाई जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या, रिछपाल सिंह कस्वां हाजिर आये। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा राजीनामे का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। सभी तथ्यों सें संतुष्ट होने पर न्यायहित में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा पेश राजीनामे अनुसार वादवर्णित भूमियों खसरा नम्बर 1115 रकबा 1.19 है0, ख0नं0 1116 रकबा 0.4000 है0, ख0नं0 1117 रकबा 2.01 है0, ख0नं0 1121 रकबा 0.5000 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1123 रकबा 1.6000 है0 किता 6

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 5.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवकृष्ण नगर पटवार हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदारी हिस्सा 1/3 सें प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द उर्फ लालू का नाम हजफ किया जाकर उपरोक्त भूमियों में सें 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 बंशीधर पुत्र बोदूराम को तथा शेष हिस्सा 1/2 का वादीगण संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप सें खातेदार/ काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री जारी हो। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क राजकोष में जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner